

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।**  
**(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य का ध्वस्तीकरण आदेश)**

पत्रांक : ९६/२ /वाद सं० सी-१२१४ /एस-८/२०२२

दिनांक: ३०/११/२०२२

श्री विवेक  
चौकी धौलास रोड  
देहरादून।

विपक्षी श्री विवेक निवासी चौकी धौलास रोड देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर विना अनुमति प्राप्त किये लगभग १०-१२ वीधा भूमि में सड़क का निर्माण व प्लोटों का चिन्हीकरण कर प्लाटिंग की जा रही है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। विपक्षी द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३) संशोधन अधिनियम २००९ की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्यवाही करते हुये प्राधिकरण में वाद संख्या सी-१२१४ /एस-८/२०२२ योजित किया गया है। स्थल पर नोटिस दिनांक ११-१०-२०२२ को श्री अमन ने प्राप्त किया गया है, तथा वाद में सुनवाई हेतु दिनांक १९-१०-२०२२ तिथि नियत की गई।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक १९-१०-२०२२ की तिथि नियत करते हुये सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। नियत तिथि को आप अनुपस्थित रहे। पुनः सुनवाई हेतु दिनांक २३-११-२०२२ की तिथि नियत की गई, जिसमें आप अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा उक्त प्लाटिंग के सम्बन्ध में कोई ठोस तथ्य/जबाब प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी जानबुझ कर वाद को लम्बित रखना चाहता है। तथा स्थल पर लगातार चोरी छुपे निर्माण किया जा रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३) संशोधन अधिनियम २००९ की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को ध्वस्त किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

-आदेश-

विपक्षी श्री विवेक निवासी चौकी धौलास रोड देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित स्थल पर विना अनुमति प्राप्त किये लगभग १०-१२ वीधा भूमि में सड़क का निर्माण व प्लोटों का चिन्हीकरण कर प्लाटिंग की जा रही है। मौके पर कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया गया है। विपक्षी द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३) संशोधन अधिनियम २००९ की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा किये गये निर्माण को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। नोटिस जारी होने के १५ दिन के अन्दर ध्वस्तीकरण कार्यवाही को सम्पादित करते हुये इस कार्यालय अवगत कराये। अन्यथा उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा स्वयं अपने स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी जिस पर होने वाला सम्पूर्ण हर्जा-खर्चा आपसे भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।

मनिष

सचिव/पीठासीन अधिकारी  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,  
देहरादून।

के.ए.ए.  
(Manish Choudhary) . मनिष

श्री विवेक को नोटिस मौके पर  
श्री मनिष ने प्राप्त किया।

माना ३०/११/२०२२